न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, टोड़ाभीम श्री सुरेन्द्र सिंह मीना – प्रार्थी

बनाम

श्री बृजमोहन सिंह गुर्जर व्यवस्थापक अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति, कटारा अजीज उचित मूल्य दुकानदार, – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

निर्णय

दिनांक–27.01.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रवर्तन निरीक्षक करौली श्री पवन कुमार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी राशन डीलर की शिकायत पर दिनांक 20.04.2020 को अप्रार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। वक्त जांच अप्रार्थी राशन डीलर की दुकान पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने एवं पोस मशीन से मिलान करने पर 9.42 क्विं. गेंहूँ अधिक पाया गया जिसे जब्त किया जाकर नजदीकी राशन डीलर अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति लपावली भाग 1/3 को सुरक्षित रखने हेतु दिया गया। उक्त जब्तशुदा 9.42 क्विं. गेंहूँ को राजसात् किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

यह प्रार्थना पत्र प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम श्री सुरेन्द्र सिंह मीना द्वारा राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति कटारा अजीज ग्राम पंचायत कटारा अजीज तह. टोडाभीम के विरूद्व शिकायत की जॉच के क्रम मे प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम ग्राम घाटरा शेरपुर स्थित डीलर की दुकान पर पहुंचे। शिकायत की जॉच के क्रम मे डीलर की दुकान से संबंधित रिकॉर्ड एवं दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। वक्त मौका निरीक्षण अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति कटारा अजीज की पोस मशीन संख्या 19655 में गेंहूँ का अवशेष स्टॉक 11.36 क्विं. दर्ज पाया गया। इसके अलावा डीलर को मई 2020 के पेटे कुल 84.22 क्विं. गेंहूँ की आमद दिनांक 08.04.2020 को हुई जो पोस मशीन में तत्समय दर्ज नहीं थी। इस प्रकार डीलर के पास कुल 95.58 क्विं. गेंहूँ (11.36 क्विं. पोस में दर्ज अवशेष स्टॉक एवं 84.22 क्विं. मई 2020 के पेटे प्राप्त) होना चाहिऐ था जबकि डीलर की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर कुल 105 क्विं. गेंहूँ पाया गया। डीलर अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति कटारा अजीज के पास वांछित स्टॉक 95.58 क्विं. की तुलना में 9.42 क्विं. गेंहूँ अधिक पाया गया जिसके संबंध में व्यवस्थापक अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति कटारा अजीज से पूछताछ करने पर व्यवस्थापक ने कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया है और ना ही कोई साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट हुआ कि डीलर द्वारा पात्र उपभोकताओं में समुचित रूप से राशन सामग्री का वितरण नहीं कर गेंहूँ का अनाधिकृत रूप से जमाव किया जा रहा है। अंत में जप्त शुदा 9.42 क्विं. गेंहूँ को मय बारदाना राजसात् करने तथा धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी समिति के विरुद्ध बेवजह बिना किसी ठोस सबूत व तथ्यों के बिना सत्यापन व जांच

जिला कलक्टर

किये प्रार्थी के विरुद्ध पेश किया गया है जो झूंठा व निराधार है। परिवाद के मद नं. 1 में दर्ज तथ्य सरसरी तौर पर मनगढंत दर्ज किये गये है। प्रार्थी जवाबदार अन्नपूर्णा समिति के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच व भौतिक सत्यापन नहीं किया गया केवल पूछताछ की गई थी जिसका मौके पर समिति के व्यवस्थापक बृजमोहन गुर्जर द्वारा संतोषप्रद जवाब श्री सुरेन्द्र मीना जी को दिया गया एवं दस्तावेजात् भी उपलब्ध करवाये गये। उसके उपरांत भी उक्त कार्यवाही प्रार्थी के विरुद्ध नाजायज की गई है। मद नं. 2 में दर्ज तथ्य माल स्टॉक बाबत् रिकार्डेड है। प्रार्थी द्वारा मौके पर ही जवाब दे दिया गया तथा उपभोक्ताओं के दस्तावेज एवं वितरण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करायी जा चुकी थी लेकिन श्री सुरेन्द्र मीना द्वारा प्रार्थी संस्था के विरुद्ध की गई कार्यवाही द्वेषपूर्ण व कानून के विरुद्ध है। मद नं. 3 में दर्ज तथ्य माल सुपुर्दगी बाबत् हैं वो सही हैं। उसके उपरांत पुनः जांच कर व बहाल (निलंबन रद्द) होनेपर प्रार्थी की संस्था को माल वापिस सुपुर्द हो गया एवं उच्चाधिकारी श्रीमान् एस.डी.ओ. टोड़ाभीम द्वारा प्रार्थी की संस्था एवं उपभोक्ताओं की पुनः जांच हेतु ई.आई. सुरेन्द्र मीना जी को भेजा गया जिसके समक्ष उपभोक्ताओं द्वारा अपने बयान दिये गये और समिति द्वारा कोई लापरवाही व द्वेषतापूर्ण कार्य नहीं मानकर मशीनरी प्रक्रिया के विलम्ब होना माना जिसमें समिति का कोई दोष नहीं होना पाया गया जिसके आधार पर समिति को पुनः बहाल कर जब्त गेंहूँ 9.42 क्विं. लपावली अन्नपूर्णा से वापिस प्रार्थी की समिति कटारा अजीज को सुपुर्द करवा दिया गया। इस आधार पर भी प्रार्थी समिति के विरुद्ध उक्त कार्यवाही झूंठी व निराधार साबित होती है। प्रार्थी की समिति द्वारा राज्य सरकार के नियमानुसार वितरण किया जा रहा है जिसमें कोई लापरवाही नहीं की। प्रार्थी अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति भाग 1 / 3 ग्राम कटारा अजीज द्वारा दिनांक 20.04.2020 को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक वितरण के दौरान भीड़ अत्यधिक होने के कारण और चल रहे गंभीर महामारी कोरोना के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेन्स की पालना करते हुए एक–एक उपभोक्ता को बुलाकर राशन वितरण किया जा रहा था जिसमें फोन पर ओ.टी.पी. नम्बर आना व अन्य कार्यवाही में समय लगना स्वाभाविक है। इस कारण कुछ उपभोक्ताओं का राशन वितरण स्टॉक में रह गया। उसी दौरान नायब तहसीलदार साहब दुकान पर आ गये जिसमें पूछताछ के दौरान स्टॉक में 9.42 क्विं. गेंहूँ उपभोक्ताओं को देना शेष था जो प्रक्रियाधीन था जिसमें संस्था की कोई लापरवाही व द्वेषता नहीं थी। जनहित को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्य किया जा रहा था लेकिन नायब तहसीलदार साहब द्वारा बिना गौर किये उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की गई जो निराधार है। उक्त कार्यवाही के संबंध में श्रीमान् एस.डी.ओ. टोड़ाभीम द्वारा पुनः जांच कर प्रार्थी की संस्था के निलंबन को गलत मानकर पुनः बहाल कर दिया गया एवं 9.42 क्विं. गेंहूँ को प्रार्थी की संस्था को सुपुर्द कर दिया जो वर्तमान में स्टॉक में मौजूद है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोड़ाभीम ने पत्र क्रमांक–रसद / 584 दिनांक 18.08.2020 से निवेदन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के वितरण के क्षेत्र के ग्राम बलेडी व घाटरा शेरपुर के उपभोक्ताओं से जानकारी करने पर मौके पर उपस्थित मौतविरान के राशनकार्डों की जांच उपरांत पाया गया कि राशन डीलर वर्तमान में सही ढंग से कार्य कर रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि मौके पर जांच उपरांत पूर्व में दिनांक 20.04.2020 को 9.42 क्विं. गेंहूँ तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम ने जब्त कर नजदीकी राशन डीलर अन्नपूर्णा सहकारी समिति लपावली के व्यवस्थापक श्री राजकुमार गुर्जर को सुपुर्द किया गया था। मौके पर श्री राजकुमार गुर्जर के बयान लिये गये और दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 9.42 क्विं. गेंहूँ मिला है। तत्कालीन समय में निरीक्षण के दौरान 9.42 क्विं. गेंहूँ अधिक पाये जाने की पुष्टि होती है। प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर जांच के

जिला कलक्टर
करौली

पश्चात् रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वर्तमान में उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का पूरी तौल के अनुसार वितरण किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने कम मात्रा में राशन सामग्री वितरण किये जाने की शिकायत नहीं की है। उचित मूल्य दुकानदार का भौतिक सत्यापन करने पर भी पोश मशीन पर वर्तमान उपलब्ध स्टाक मात्रा से मिलान हुआ है। राशन डीलर द्वारा सही मात्रा में राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति कटारा अजीज ग्राम पंचायत कटारा अजीज तह. टोडाभीम के विरूद्व शिकायत की जॉच के क्रम मे प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम ग्राम घाटरा शेरपुर स्थित डीलर की दुकान पर पहुंचे। शिकायत की जॉच के क्रम मे डीलर की दुकान से संबंधित रिकॉर्ड एवं दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। वक्त मौका निरीक्षण अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति कटारा अजीज की पोस मशीन संख्या 19655 में गेंहूँ का अवशेष स्टॉक 11.36 क्विं. दर्ज पाया गया। इसके अलावा डीलर को मई 2020 के पेटे कुल 84.22 क्विं. गेंहूँ की आमद दिनांक 08.04.2020 को हुई जो पोस मशीन में तत्समय दर्ज नहीं थी। इस प्रकार डीलर के पास कुल 95.58 क्विं. गेंहूँ (11.36 क्विं. पोस में दर्ज अवशेष स्टॉक एवं 84.22 क्विं. मई 2020 के पेटे प्राप्त) होना चाहिऐ था जबकि डीलर की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर कुल 105 क्विं. गेंहूँ पाया गया। डीलर अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति कटारा अजीज के पास वांछित स्टॉक 95.58 क्विं. की तुलना में 9.42 क्विं. गेंहूँ अधिक पाया गया जिसके संबंध में व्यवस्थापक अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति कटारा अजीज से पूछताछ करने पर व्यवस्थापक ने कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया है और ना ही कोई साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट हुआ कि डीलर द्वारा पात्र उपभोकताओं में समुचित रूप से राशन सामग्री का वितरण नहीं कर गेंहूँ का अनाधिकृत रूप से जमाव किया जा रहा है। राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को पूरा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। इसके उपरांत पुनः जांच की गई जिसमें उपभोक्ताओं का राशन वितरण से संतुष्ट होना पाया गया। अंत में जप्त शुदा 9.42 क्विं. गेंहूँ को मय बारदाना राजसात् करने तथा धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति भाग 1 / 3 कटारा अजीज तहसील टोड़ाभीम के विरुद्ध उक्त परिवाद बिना किसी तथ्यों के पेश किया गया है जिसमें किसी प्रकार से संस्था की लापरवाही या दोषपूर्ण कृत्य नहीं है। केवल प्रक्रिया में विलम्ब के आधार पर संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी जिसके संबंध में पुनः एस.डी.ओ. टोड़ाभीम द्वारा जांच कर कार्यवाही को गलत माना और संस्था को पुनः बहाल कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जो पत्रावली पर रिकॉर्ड उपलब्ध है। प्रार्थी समिति के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में प्रार्थी द्वारा विस्तृत जवाब पूर्व में पेश किया जा चुका है जिसमें समस्त तथ्यों को दर्शित किया गया है। जिस वक्त प्रार्थी की संस्था की जांच प्रथम बार की गई उस दिनांक 20.04.2020 को सुबह 8 से 10 बजे दुकान पर भीड़ अत्यधिक होने की वजह से एवं प्रार्थी द्वारा कोरोना महामारी के राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नियमानुसार कार्य किया जा रहा था जिसमें समय लगना स्वाभाविक है और वितरण प्रक्रिया चालू थी तथा बरसात हो रही थी। इस कारण शेष बचा हुआ गेंहूँ वितरण होने में कार्यवाही जारी थी जिस पर बिना गौर किये नायब तहसीलदार साहब बालघाट द्वारा जो कार्यवाही की गई उसकी पुनः एस.डी.ओ. साहब टोड़ाभीम द्वारा जांच करायी गई जिसमें प्रार्थी संस्था को निर्दोष पाया जाकर पुनः बहाल किया गया। इसके पश्चात् श्रीमान् प्रवर्तन निरीक्षक सुरेन्द्र मीना के आदेशानुसार 9.42

जिला कलक्टर
करौली

क्विं. गेंहूँ जो कि चार्ज में अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति लपावली भाग 1/3 को सुरक्षित रखने के लिए आदेशित किया गया था उसे वापिस प्राप्त कर लिया गया है। प्रति संलग्न है। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति 1/3 भाग कटारा अजीज तहसील टोड़ाभीम जिला करौली नियमित रूप से माह जून 2020 से कार्य कर रही है। प्रार्थी संस्था के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाना न्यायोचित नहीं है। पूर्व में भी समिति लम्बे समय से कार्य करती चली आ रही है। कभी कोई शिकायत वितरण के संबंध में नहीं रही है। प्रार्थी संस्था ईमानदारी एवं उपभोक्ताओं की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देशों के अनुसार गेंहूँ वितरण का कार्य करती चली आ रही है एवं भविष्य में करती रहेगी। श्रीमान् प्रार्थी संस्था द्वारा कभी कोई लापरवाही भविष्य में नहीं की जावेगी। श्रीमान्जी के जो भी आदेश प्राप्त होंगे उनकी पालना की जावेगी। अंत में प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम द्वारा की गई जांच दिनांक 20.04.2020 में यह बताया गया है कि अप्रार्थी राशन डीलर उपभोक्ताओं को पूरा तौल अनुसार गेंहूं वितरण नहीं कर रहा है एवं अप्रार्थी की दुकान में उपलब्ध स्टॉक के भौतिक सत्यापन एवं पोस मशीन में दर्ज स्टॉक गेंहूं का मिलान करने पर 9.42 क्विं. गेंहूं अधिक पाया जाना बताया गया है जिसे जब्त कर अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति लपावली भाग 1/3 को सुरक्षित रखने हेतु आदेशित किया गया था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुनः दिनांक 17.08.2020 को की गई जांच में अप्रार्थी राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को पूरा तौल कर राशन दिया जाना, उपभोक्ताओं का राशन वितरण से संतुष्ट होना, दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर उपलब्ध स्टॉक का पोस मशीन में अंकित मात्रा से मिलान होना बताया गया है। साथ ही जब्तशुदा 9.42 क्विं. गेंहूँ को इस प्रकरण के विचाराधीन होने पर भी वापस अप्रार्थी राशन डीलर को संभलवाया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोड़ाभीम द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 18.08.2020 के मद संख्या 2 में 9.42 क्विं. गेंहूँ का अतिरिक्त पाये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 20.04.2020 को अप्रार्थी राशन डीलर को उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोडाभीम द्वारा निलंबित किया गया है तथा दिनांक 11.06.2020 को बिना पूर्ण जांच किये अप्रार्थी राशन डीलर को बहाल किया गया है। इस प्रकार प्रकरण हाजा में विरोधाभासी तथ्य पेश किये गये हैं एवं उक्तानुसार की गई कार्यवाहियां संतोषप्रद प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिये प्रकरण को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोड़ाभीम व प्रवर्तन निरीक्षक, टोड़ाभीम को आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण में विस्तृत जांच कर 30 दिवस में पूर्व जांच रिपोर्ट्स में विरोधाभास के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को पेश करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोड़ाभीम व प्रवर्तन निरीक्षक, टोड़ाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, करौली